राजस् थान उच चन् यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय::-

रामा ऊर्फ रामलाल :बनाम : राजस् थानराज य

एकल पीठ फौजदारी जेल अपील संख या: **455/2002**
विरूद्ध निर्ण य दिना क : 27.4.2002, जो स शन
प्रकरण स ख्या 92/2000 में अपर स शन
न्यायाधीश, बांसवाडा द्वारा पारित किया गया।

* * * * *

निर्णय दिनांक : 21 सितम्बर , **2006**

-: उपि स् थत-

माननीय न् यायाधिपति श्री कृष् णकुमार आचार्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री रणजीत जोशी,
जन अभियोजक श्री एस.एन.तिवारी।

* * * * *

न् यायालय द्वारा:

यह अपील अपर सेशन न्यायाधीश, बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 27.4.02 की नाराजगी में अपीलाण्ट रामा उर्फ रामलाल की ओर से प्रस्तुत की गई है। योग्य अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलाण्ट को उसके विरूद्ध लगाए आरोप धारा 376 भा.दं.सं. में दोषी करार दिया और उपरोक्त आरोप में 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रूपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना दो वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से

दण्डित किया है, जिसकी नाराजगी में यह अपील है। अपील पेश होने पर एडमिट की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से जो तथ्य आए हैं, संक्षेप में इस प्रकार हैं कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.9 अभियोक्त्री ल. (जिसे आगे अभियोक्त्री कहा जाएगा) के जुबानी पर्चा बयान दिनांक 10.6.2000 के आधार पर दर्ज की गई जिसमें यह बताया कि कल दिन के करीब पांच बजे वह नाले पर खजूर खाने गई थी वहां नाले में पानी होने से वह स्नान करने बैठी कि वहां अभियुक्त रामा देवासी भी खजूर खाने आया हुआ था। फिर रामा ने उसे आवाज देकर पास बुलाया व कहा कि खजूर गिरा देता हूं। वह उसके पास गई तो रामा ने उसे पकड लिया और जबरन झाड़ी में ले गया। वह चिल्लाने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी देकर चिल्लाने नहीं दिया और वहां ले जाकर जमीन पर लेटा दी और उसने अपने कपड़े उतार दिए और उसकी घाघरी ऊंची करके उसके उपर गिर गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर वह बेहोश हो गई। उसके बाद कब उसके माता-पिता घर ले गए उसे पता नहीं। रात्रि को उसे होश आया तो सारी बात अपने माता-पिता व अन्य व्यक्तियों को बताई। सुबह उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घाघरी उसकी मां ने धो डाली है। उपरोक्त पर्चा बयान के आधार पर यह प्रकरण धारा 376 भा.दं.सं. में दर्ज किया गया। बाद सामान्य तफ्तीश अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 भा.दं.सं. के तहत चालान प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 376 भा.दं.सं. के आरोप से आरोपित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पी.ड.1 विठला, पी.ड.2 लक्ष्मी, पी.ड.3 अमरा, पी.ड.4 डॉ. ओमप्रकाश उपाध्याय,

पी.ड.5 बसुलाल, पी.ड.6 श्रीमती फुला, पी.ड.7 भेमजी, पी.ड.8 मनोहरलाल, पी.ड.9 हीरालाल त्रिवेदी गवाह पेश किए गए व दस्तावेजी साक्ष्य में पी.1 से लगायत पी.भी प्रस्तुत हुए। तत्पश्चात् अभियुक्त के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के 11 दस्तावेज तहत कलमबन्द किए गए। अभियुक्त ने कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 376 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी करार देकर उपरोक्त प्रकार से दण्डित किया, जिसकी नाराजगी में यह अपील है।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का प्रथम तर्क यह रहा कि अभियोक्त्री ल. (पी.ड.2) की उम्र 10 साल बताई है और वह बालिका गवाह हैऔर उसने जो भी बयान दिए हैं, जिस प्रकार से उसे समझाया गया उसी प्रकार से बयान दिए हैं, उसके बयान कतई विश्वसनीय नहीं मानते जा सकते। उसके द्वारा मुख्य बयानो में अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की साक्ष्य कही गई है और उसके बाद वह बेहोश हो गई। रात को 12 बजे जब उसे होश आया तब उसने अपने माता-पिता को यह बात बताना कहा है। फिर बयानो में उसने अपनी उम्र 8 साल बताई है। वह खजूर खाने के लिए गई हुई थी और खजूर के पेड़ पर चढ़ने से लकड़ी की उसके पेशाब करने की जगह लगी है, उसी से उसके चोटे आई है। अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया है। उसका यह भी कथन रहा कि उसने अभियुक्त की पेशाब करने की नली नहीं देखी। उसे यह भी पता नहीं कि

रामा ने उसके पेशाब करने वाली जगह में उसके पेशाब करने की नली डाली, अंगुली डाली या लकड़ी डाली। इस प्रकार ऐसे गवाह के बयानो के आधार पर अभियुक्त को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषी करार नहीं दिया जा सकता, वह आदिवासी, अनपढ़ लड़की है और बालिका भी है। उसे जिस प्रकार से बात समझाई उसी अनुसार बयान दिए हैं। उन्होंने चिकित्सकीय साक्ष्य पी.ड.4 डॉ. ओमप्रकाश उपाध्याय के बयानो की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि उम्र के बारे में कोई एक्स-रे नहीं कराया गया, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से ही उसकी उम्र 8 वर्ष की होना बताई है। उसकी चोटों के आधार पर बलात्कार करने के अवश्य बयान दिए हैं। वेजीनल स्वाब व स्लाईड लेकर एफ.एस.एल. भेजे गए थे, मगर एफ.एस.एल. रिपोर्ट कोई भी रेकर्ड पर पेश नहीं हुई है। अभियुक्त के परिवार के रूपयों का झगड़ा था, इस आधार पर उसके विरूद्ध यह झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनका यह भी तर्क है कि 9.6.2000 की शाम का वाका होना बताया गया है और यह रिपोर्ट दूसरे दिना 10.6.2000 को 11 बजे पेश की गई है, देरी का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा अन्य जो साक्ष्य पेश हुई है वह मात्र सुनी-सुनाई साक्ष्य कहते हैं, जिनके सामने वाका नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में पी.ड.1 विठला, पी.ड.3 अमरा व पी.ड.6 फुला जो लड़की की माता है, पी.ड.7 भेमजी जो लड़की का काका है, के भी बयान कराए गए हैं, मगर ये कोई भी वाके के समय के गवाह नहीं है। उम्र के बारे में कोई भी विशिष्ठ साक्ष्य नहीं दी गई कि 10 वर्ष ही हो। उनका तर्क रहा कि रेडियोलोजिकल परीक्षण नहीं कराया गया है न जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ही पेश किया गया हैऔर मात्र जुबानी साक्ष्य से यह नहीं

माना जा सकता कि अभियोक्त्री की उम्र 8 से 10 साल थी, वह 12 साल से अधिक भी हो सकती है और 16 साल की उम्र भी हो सकती है, इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता। इस प्रकार उनका तर्क है कि अभियोक्त्री, जो बालक गवाह है, के मात्र बयानो के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया है, अत: अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाएं। चिकित्सकीय साक्ष्य से तोईद होना भी अधीनस्थ न्यायालय ने मानी है मगर वह खजूर खाने गई है और उसकी चोटें आई है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी इस प्रकरण में पेश नहीं की गई है इससे भी बलात्कार के सम्बन्ध में शक की गुंजाईश रहती है। इन सभी आधारों पर उनका तर्क रहा कि अभियुक्त को धारा 376 भा.दं.सं. के आरोप में जो दोषी करार दिया है वह अपास्त किया जाए। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपने तर्क समर्थन में 1997 क्रि.लॉ.रि. (राज.) 549 (पूरन चन्द बनाम राजस्थान राज्य), 1998 क्रि.लॉ.रि. (राज.) 162 (महेश चन्द बनाम राजस्थान राज्य) एवं 2003 (2) राजस्थान क्रिमिनल डिसिजन 433 (राज.) (अम्बालाल बनाम राजस्थान राज्य) पर आए विनिश्चय पेश किए।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक का तर्क रहा कि पी.ड.2 अभियोक्त्री ने अपनी उम्र 10 साल होना बताई है और बयानो में 8 साल होना भी कही है, मगर उसने अपने मुख्य बयानो में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त ने उसे आवाज देकर झाड़ी में बुलाया व उसके बाद में उसके साथ बलात्कार किया है, फिर वो बेहोश हो गई है। रात को 12 बजे जब उसे होश आया तो माता-पिता को सारी बात बताई, फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर पुलिस ने उसके बयान प्रदर्श पी.2 लिए और उसका

अंगुठा करवाया। उसने खजूर खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने से इनकार किया है। कुछ खजूर नीचे गिरे हुए थे और कुछ नीचे गिराए हैं। अभियुक्त उसकी मरजी के बिना हाथ पकड़ कर झाड़ी में ले गया, उसका मुंह बांधा और उसके ऊपर गिर कर उसके साथ बलात्कार किया है। यह बालक गवाह होने से यदि यह कहती है कि उसने उसके पेशाब करने की नली नहीं देखी या उसके पेशाब करने वाली जगह पर नली डाली, अंगुली डाली या लकड़ी डाली उसे पता नहीं, मात्र इस कथन के आधार पर गवाह का बयान अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता और अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से फाईंडिंग दी है कि 8 वर्ष की बालिका जिरह में यदि ऐसी बातें कहे तो यह अप्राकृतिक नहीं है, मगर मुख्य बयान में उसने स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा बलात्कार करना कहा है और जिस प्रकार से अभियुक्त ने बलात्कार किया है उसने उसका स्पष्ट वर्णन भी किया है। इस प्रकार मात्र जिरह में सुझाव में मात्र यही कहा कि उसे पता नहीं कि उसके पेशाब करने वाली जगह में अंगुली डाली, नली डाली या लकड़ी डाली। उसके खून आया था। अभियोक्त्री के बयानो की ताईद चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है, जो पी.ड.4 डॉ. ओमप्रकाश उपाध्याय ने परीक्षण के आधार पर उसकी उम्र 8 साल पाई है। एक्सट्रनल जनाइटीलिया वल्वा सूजी हुई थी। पोस्टीरीयर फोरचीट पर लेसरटन था जो 1 x ½ से.मी. का होकर मसल डीप था। हाईमन टोन थी और लेसेरेशन से खून भी आ रहा था। वेजाईना सुजी हुई व कनजस्टेड थी। शरीर पर खरोचें भी 3 x 2 से.मी. थी जो कमर पर कुल्हे के ऊपर बीच के हिस्से में पाई गई और चिकित्सक की स्पष्ट राय रही कि अभियोक्त्री के आई चोटों से उसके साथ बलात्कार करना पाया

गया। अभियुक्त रामा का भी पुरूषत्व के बारे में परीक्षण किया जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 भी प्रमाणित की है और उसके शरीर में भी ऐसी कोई बात नहीं पाई गई कि वह सम्भोग करने में सक्षम नहीं हो। यदि कोई लड़की खजूर के पेड़ पर चढ़े और खजूर के खूंटे से लगे तो उसके ऐसी चोटें आने से इनकार नहीं किया जा सकता, अवश्य उसने माना है और कुल्हे वाली चोट भी उसके गिरने से आ सकती है। गुप्तांग के पास में या योनि में कोई वीर्य के चिह्न नहीं पाए गए थे, मगर चिकित्सकीय साक्ष्य से उनका तर्क है कि वीर्य पाया जाना बलात्कार के लिए आवश्यक नहीं है। उसके शरीर पर जिस तरह की खरोंचे हैं और गुप्तांगों पर चोटें चिकित्सक ने पाई है, यह बलात्कार से ही आई है। यह बात उसने अपने माता-पिता को तुरन्त बता दी है जो भी साक्ष्य सुंसगत है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया, इसके लिए उसके पिता पी.ड.1 विठला व काका भेमजी के बयानो से प्रमाणित होता है। पेड़ पर चढ़ने या खूंटे से लगने की कोई भी साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। इन सभी आधारों पर उनका तर्क है कि अभियुक्त के द्वारा कोई भी दुश्मनी होना प्रमाणित नहीं की कि क्योंकर उसे झूंठा फंसाया जा रहा है और 8-10 साल की बच्ची क्योंकर उसके खिलाफ झूठे बयान दे रही है,इसका भी कोई कारण नहीं आया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के बारे में उनका तर्क है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट नहीं आने से कोई विपरीत असर नहीं पड़ता, बलात्कार के प्रकरण में सीमन का पाया जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप अधीनस्थ न्यायालय ने प्रमाणित पाए हैं, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जावे। योग्य जन अभियोजक ने अपने तर्क समर्थन में 2005 क्रि.लॉ.ज. (सुप्रीम कोर्ट) 4375 (स्टेट ऑफ एम.पी. बनाम

दयाल साहु), 2001 क्रि.लॉ.रि. (सुप्रीम कोर्ट) 434 (स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम ज्ञानचन्द) एवं 2002 क्रि.लॉ.ज. (सुप्रीम कोर्ट) 2951 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओमप्रकाश) पर आए विनिश्चय पेश किए।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। जहां तक प्रथम सूचना का प्रश्न है, यह वाका 9.6.2000 को शाम के पांच बजे के आसपास घटित हुआ है। रात को पी.ड.1 विठला और उसकी पत्नी अभियोक्त्री को ढूंढने के लिए नाले के पास गए जहां वह विलाप कर रही थी और बेहोश हो गई थी। उसके पेशाब करने की जगह से खून निकल रहा था। वो उसे उठाकर घर लाए। रात को लक्ष्मी को होश आया तो पूछने पर बताया कि रामा ने उसके साथ खोटा काम किया। फिर उसे बांसवाडा अस्पताल लेकर गए और भर्ती कराया। इस प्रकार प्रथम सूचना में देरी का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से रेकर्ड पर आया है। रात को 12 बजे के आसपास होश आना साक्ष्य में आया है और रात में उसने यह बात बताई। आदिवासी गांव कुवानिया के रहने वाले हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.9) के अवलोकन से भी पाया जाता है कि यह थाने से 25 कि.मी. दूरी पर गांव है। इस प्रकार वाके के बाद रात को 12 बजे बच्ची को होश आने के बाद यह तथ्य परिवारजन को बताए गए हैं, फिर उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया है और थाने में रिपोर्ट पेश की है। यह प्रथम सूचना में भी लिखा गया है और साक्ष्य में भी तथ्य आया है। इस प्रकार प्रथम सूचना में देरी का कोई आधार नहीं है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि अभियोक्त्री का कोई भी रेडीयोलोजिकल परीक्षण नहीं कराया गया, अत: उसकी उम्र के बारे में

निश्चित राय नहीं दी जा सकती, इससे भी मैं पूर्ण रूप से सहमति नहीं रखता। चिकित्सक ने अपने बयानो में स्पष्ट कहा है कि उसने अभियोक्त्री की उम्र का परीक्षण किया था और उसकी उम्र 8 वर्ष की पाई गई थी। उसकी ऊंचाई 141 से.मी. थी और वजन 27 किलोग्राम था। ऊपरी जबडे में 12 दांत व नीचे के जबडे में 14 दांत थे। ब्रेस्ट विकसित नहीं हुई थी, कांख के बाल विकसित नहीं थे और गुप्तांग के बाल उगे ही नहीं थे। उपरोक्त लक्षण के आधार पर चिकित्सक ने अभियोक्त्री की उम्र 8 साल होना बताई है। यह भी सही है कि रेडियोलोजिकल परीक्षण नहीं कराया गया न एक्स-रे कराया गया और न ही उम्र के बारे में कोई प्रमाण-पत्र ही पेश हुआ है। अभियोक्त्री के पिता ने उसकी उम्र अवश्य 10 साल होना बताई है और माता ने 8 साल उम्र होना ही बताया है और अभियोक्त्री ने अपनी उम्र कभी 8 साल व कभी 10 साल होना बताई है, मगर सही उम्र किसी ने नहीं बताई। मगर चिकित्सक द्वारा जो क्लिनिकल जांच की गई उसके आधार पर उसकी उम्र मात्र 8 साल होना बताई है, जबकि पिता ने उम्र 10 साल होना कही है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए भी बालिका की उम्र किसी प्रकार से 16 वर्ष से अधिक होना नहीं मानी जा सकती। यह स्थिति अलग है कि उम्र के बारे में 2-3 वर्ष का फर्क क्लिनिकल जांच में भी हो सकता है। इसके ऊपर व नीचे के मिलाकर कुल 26 दांत भी पाए गए हैं। यह अवश्य नतीजा निकला है कि हो सकता है कि उसकी उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच की हो या 12 वर्ष से कुछ अधिक भी हो सकती है, मगर किसी भी परिस्थिति में क्लिनिकल जांच देखने से भी उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक कतई प्रतीत नहीं होती। 10 से 12 वर्ष के बीच भी उम्र हो सकती है, इस तथ्य से

इनकार नहीं किया जा सकता।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क रहा कि अभियोक्त्री एक बालिका गवाह है, जो बात उसे समझाई गई वैसे ही बयान दिए हैं और अभियुक्त को झूंठा फंसाया है और वास्तव में चोटें खजूर के पेड़ पर चढ़ने से लगी है और उसे यह भी जानकारी नहीं कि उसकी योनि में नली डाली, अंगुली डाली या लकड़ी डाली गई। इस आधार पर भी उनका तर्क रहा कि धारा 376 भा.दं.सं. के आरोप के बारे में शक की गुंजाईश रहती है और अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर सही विचार नहीं किया। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा तमाम साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पी.ड.2 अभियोक्त्री ल. का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। डेढ साल पहले दिन के करीब पांच बजे वह नाले पर खजूर खाने गई, जो घर से थोडी दूर है। वह खजूर खा रही थी वहां रामा हाजिर अदालत मुल्जिम ने आवाज लगाई और झाड़ी में नंगा होकर उसके ऊपर गिर गया। उसने अपने पेशाब वाली नली उसके पेशाब करने वाले में डाल दी। फिर ऊंचा नीचा होता रहा। वह वहां पर पड़ी हुई थी। फिर बेहोश हो गई। उसके बात उसके माता-पिता उसे घर लेकर आए। रात को 12 बजे करीब उसे होश आया तब माता-पिता को सारी बात बताई। फिर उसे बांसवाडा अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। उसका डॉक्टरी मुआयनाहुआ। पुलिस ने भी उससे पूछताछ की और उसके बयान लिए। प्रदर्श पी.2 बयान पुलिस में उसने दिए थे। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 बनाया जिस पर अंगुठा कराया। इस बात से इनकार करता है कि खजूर खाने गई तब उसका भाई भी उसके साथ हो। कुछ खजूर हवा चलने से गिर गए थे और

कुछ खजूर लकड़ी से गिराए थे। लकड़ी करीब 5-7 फीट लम्बी थी। गरमी के दिन थे। वहां अन्य फालतू पेड़ों की झाडिया थी। रामा ने लूंगी पहन रखी थी। रामा उसका हाथ पकड़ कर झाडी में ले गया था, जो उसकी मरजी के बिना ले गया। उसका मुंह बांध दिया और उसे चिल्लाने नहीं दिया। उसके साथ बलात्कार जमीन पर लेटा कर किया। ओढ़नी से मुंह बांधा था। हालांकि आगे उसने स्पष्ट कहा है कि उसने रामा के पेशाब करने की नली नहीं देखी, मगर उसका मुंह बंधा हुआ था, वह देखने में सक्षम नहीं थी। साथ ही पेशाब करने वाली जगह में नली डाली, अंगुली डाली या लकड़ी डाली, उसने पता नहीं होना कहा है, मगर एक बालिका गवाह ने जो यह बयान दिए हैं, उसके मुख्य बयानों में जिस प्रकार से उसके साथ बलात्कार किया, अभियुक्त बिलकुल नंगा होकर उसके ऊपर गिरा और उसके पेशाब करने वाली जगह में पेशाब करने वाला डाला और ऊंचा नीचा होता रहा, यह जो बयान दिए हैं, मात्र जिरह में उपरोक्त बयानो से अविश्वसनीय नहीं हो जाते। बल्कि एक बालिका की नासमझी या उसका सरल स्वभाव होना बताता है क्योंकि एक बालिका से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसके साथ जो बलात्कार का कृत्य हुआ है और उसकी योनि में जिस प्रकार से चोटें आई है व अभियुक्त ने उसके ऊपर नंगा होकर गिर कर यह कृत्य किया और उसके पेशाब करने वाली जगह में अपने पेशाब की नली डाली और ऊंचा नीचा हुआ, यह तमाम लक्षण अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने की ओर ही इंगित करता है। इस प्रकार उसके बालकपन में जो साक्ष्य दी गई कि उसे पता नहीं कि रामा ने उसके पेशाब करने वाली जगह में नली डाली, अंगुली डाली या लकड़ी डाली, पता नहीं होने से

मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी घाघरी पर खून लगा हुआ था जो खजूर के पेड का खापा उसके पेशाब करने की जगह लगी हो, इससे भी उसने इनकार किया है। अभियोक्त्री के उपरोक्त बयानो की ताईद पी.ड.4 डॉ. ओमप्रकाश उपाध्याय चिकित्सक के बयानो से भी होती है और चिकित्सक के बयानो से स्पष्ट है कि उसकी एक्स्ट्रनल जनाईटीलिया वल्वा सुजी हुई थी। पोस्टीरियर फोरचीट पर लेसेरेशन था। हाईमन टोन थी। लेसेरेशन हाईमन पर 5 और 7 बजे की पोजीशन पर था और लेसेरेशन से खून भी आ रहा था। वेजाईना सुजी हुई व कंजस्टेड थी। उसके शरीर पर खरोंचे 3 x 2 से.मी. थी। जो कमर पर कुल्हे के ऊपर बीच के हिस्से में पाई गई थी जो चोटें सामान्य थी और कुन्दाले से कारित की हुई थी और चिकित्सक की स्पष्ट राय रही कि अभियोक्त्री के आई चोटों को देखते हुए उसके साथ बलात्कार किया गया था। वेजाइनल स्वाब व स्लाईड लेकर एफ.एस.एल. भेजी गई थी। प्रदर्श पी.3 रिपोर्ट चिकित्सक ने प्रमाणित की है और अभियुक्त के पुरूषत्व की जांच भी की है और कोई भी विपरीत बात नहीं पाई। इसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 भी चिकित्सक ने प्रमाणित की है। चिकित्सक ने जिरह में अवश्य स्वीकार किया है कि ये चोटें खजूर के पेड़ पर चढ़े और गिरे उनसे भी ऐसी चोटे आना संभव है, मगर अभियोक्त्री खजूर के पेड़ पर चढ़ी हो, इसकी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई। यह सही है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट इस प्रकरण में पेश नहीं हुई और सीमन उसके गुप्तांग के पास या उसकी योनि में नहीं पाया गया, मगर मात्र सीमन नहीं होने या एफ.एस.एल. रिपोर्ट नहीं आने मात्र से अभियोक्त्री के बयान बलात्कार के लिए असत्य नहीं माने जा

सकते। अभियोक्त्री के स्वयं के बयान पर ही न्यायालय अभियुक्त को दण्डित कर सकता है, इसके बयानो के लिए ताईद लेने की आवश्यकता नहीं है न ऐसा कानून में आवश्यक है कि अभियोक्त्री के बयान के सम्बन्ध में किसी स्वतंत्र साक्ष्य से ताईद ली जावे। यह मात्र प्रबुद्ध का नियम (Rule of prudent) ही है, यह भी कानून की स्थिति से स्पष्ट है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, इससे भी अभियोक्त्री के बयानो की ताईद होना नहीं माना जा सकता, पर भी मेरे द्वारा विचार किया गया। चिकित्सक ने अपनेबयानो में बलात्कार किए जाने की साक्ष्य दी है, मात्र एफ.एस.एल. रिपोर्ट नहीं आने या वीर्य की जांच के सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं आने से कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। बलात्कार के प्रकरण में सीमन का पाया जाना आवश्यक नहीं है। चिकित्सक की यह भी राय नहीं थी कि अन्तिम रिपोर्ट एफ.एस.एल. रिपोर्ट आने के बाद दी जाएगी, क्योंकि चिकित्सक ने स्पष्ट राय दी है कि बलात्कार होना रेकर्ड पर पाया गया है और आगे और ताईदी साक्ष्य प्राप्त करने हेतु स्वाब व स्मीयर लिए गए थे। इस प्रकार एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से भी प्रकरण पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा इस प्रकरण में जो विनिश्चय पेश किए हैं उसमें 1998 क्रि.लॉ.रि. (राज.) 162 (महेश चन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) वाले प्रकरण में बाल साक्षी की साक्ष्य का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जावे के सम्बन्ध में विनिश्चय दिया गया है और इस विनिश्चय के पैरा 11 में इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट सिद्धान्त दिया गया है कि यह कहीं भी कानून का सिद्धान्त नहीं है कि बालक गवाह के बयान

बिना किसी ताईदी साक्ष्य के विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हों। मात्र यही विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बालक गवाह के बयानो के मूल्यांकन के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। कई प्रकरणों में बालक गवाह के बयान यदि विश्वसनीय माने जाते हैं तो विश्वास किया जा सकता है, मगर यह भी सिद्धान्त दिया गया है कि बालक गवाह को कई बार सिखलाया या पढ़ाया जा सकता है, उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि उनके बयानो का क्या प्रभाव पड़ेंगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बयानों का मूल्यांकन करते समय पूर्ण सावधानी न्यायालयो को बरतनी चाहिए और जभी स्वीकार किए जाने चाहिए कि जब स्वतंत्र रूप से व तमाम परिस्थितियों से उसकी ताईद हो जावे।

उपरोक्त विनिश्चय को मैं आदर पूर्वक स्वीकार करता हूं। इस प्रकरण में अभियोक्त्री की उम्र 8 से 10 वर्ष के बीच में बताई गई है (मगर जो 10 से 12 वर्ष तक की याउससे कुछ अधिक हो सकती है), और उसने जिस प्रकार से बयान दिए हैं वे किसी प्रकार से भी सिलखाई या पढ़ाई हुई गवाह नहीं लगती और उसके गुप्तांगों पर चोटें भी डॉ. ओमप्रकाश उपाध्याय (पी.ड.4) के बयानो से पाई गई है और उसके बयानो की ताईद भी होती है। इस प्रकार पूर्ण सावधानी से उसके बयान पढ़े तो भी उसके बयानो की ताईद स्वतंत्र साक्ष्य से होना पाई जाती है। इस प्रकार यह विनिश्चय योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट को कोई सहायता नहीं करता।

इसी प्रकार योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य विनिश्चय 1997 क्रि.लॉ.रि. (राज.) 549 (पूरनचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) वाले प्रकरण में रेडियोलोजिस्ट को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया था न एक्स-रे

प्लेट पेश की गई थी और न स्कूल प्रमाण-पत्र पेश किया गया था। इस प्रकार उम्र के बारे में कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं पाई गई कि वह 16 साल से नीचे हो। उस प्रकरण में कोई भी गुप्तांगों पर चोटें नहीं पाई गई थी। उसके साथ मारपीट की गई, उसके सम्बन्ध में भी कोई चोटें नहीं पाई गई थी। उस प्रकरण में बालिका अपना भला बुरा समझने की आयु प्राप्त कर चुकी थी। इस प्रकार तमाम साक्ष्य में शिथिलताएं भरी हुई पाई गई, इस आधार पर उसके बयान अविश्वसनीय माने गए थे। मगर इस प्रकरण में तथ्य यह नहीं है। इस प्रकरण में बालिका की उम्र चिकित्सकीय साक्ष्य देखने से स्पष्ट होती है कि उसकी उम्र चिकित्सक के अनुसार 8 वर्ष की पाई गई है, उसका वजन मात्र 27 किलोग्राम था, ऊपरी जबडे में 12 दांत व नीचे के जबडे में 14 दांत थे। ब्रेस्ट विकसित नहीं हुई थी, कांख के बाल विकसित नहीं थे और गुप्तांग के बाल उगे ही नहीं थे। इन सभी स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने उसकी उम्र बताई है। इस प्रकार इस प्रकरण में रेडियोलोजिस्ट पेश नहीं होने या चिकित्सकीय साक्ष्य पेश नहीं होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियोक्त्री की उम्र 16 साल से अधिक हो। यह सही है कि इस प्रकरण में अभियोक्त्री की उम्र का कोई प्रमाण-पत्र पेश नहीं हुआ है। अभियोक्त्री ने अपनी उम्र 10 साल होना शपथ पर बताई है और बाद में 8 साल भी बताई है। उसके पिता द्वारा भी उसकी उम्र 10 वर्ष बताई है। सही उम्र वह नहीं बता पाया न जन्म तारीख ही बता पाया है। उसकी मां द्वारा उसकी उम्र मात्र 8 साल बताई गई है और वो भी सही उम्र नहीं बता पाई। मगर उपरोक्त तमाम साक्ष्य को देखने से, यह सही है कि, अभियोक्त्री की जन्म तारीख नहीं आई न रेडियोलोजिकल

परीक्षण हुआ, मगर चिकित्सक ने जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किया उस आधार पर जो उम्र बताई है और जिस प्रकार चिकित्सक ने अपनी राय दी है और उसकी उम्र 8 साल होना कही है। पिता ने 10 वर्ष उम्र होना बताया है, यदि दो साल उम्र में अन्तर माने तो अधिक से अधिक उसकी उम्र 12 वर्ष हो सकती है, मगर 16 वर्ष से अधिक उम्र होने की साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं पाई जाती। अत: यह विनिश्चय भी योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट को कोई सहायता नहीं करता।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा 2003 (2) राजस्थान क्रिमिनल डिसिजन 433 (राज.)(अम्बालाल बनाम राजस्थान राज्य) जो प्रस्तुत किया है, उसका मेरे द्वारा आदर पूर्वक अवलोकन किया गया। उस प्रकरण में अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम थी। अभियुक्त के साथ कई जगह लम्बी यात्रा की है। धर्मशाला, मन्दिरों में घुमी लेकिन कभी विरोध नहीं किया। इस आधार पर धारा 376 भा.दं.सं. की दोषसिद्धि अपास की। यह प्रकरण इस केस के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

योग्य जन अभियोजक द्वारा अपने तर्क समर्थन में 2001 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 434 (स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम ज्ञानचन्द) विनिश्चय पेश किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रथम सूचना में देरी के सम्बन्ध में पैरा 12 में स्पष्ट सिद्धान्त दिया है कि मात्र प्रथम सूचना में देरी होना ही अभियोजन पक्ष के केस को शकमय नहीं बनाती, उस प्रकरण में जो देरी से प्रथम सूचना पेश की गई थी उसका संतोषजनक कारण भी बताया गया था। उस प्रकरण में एक गवाह पेश नहीं किया गया था, उस आधार पर भी अभियोजन के केस को असत्य नहीं माना जा

सकता, सिद्धान्त दिया है। इस प्रकरण में, जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है, प्रथम सूचना का स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्ण रूप से दिया गया है। रात्रि को होश आने पर अभियोक्त्री द्वारा अपने माता-पिता को बात बताई, उसके बाद यह प्रथम सूचना प्रदर्श पी.9 दिनांक 10.6.2000 को दर्ज करा दी गई है। वाहा 9.6.2000 का शाम के 6 बजे का है। रात्रि में 12 बजे के लगभग लडकी को होश आने पर उसने यह बात बताई। इस प्रकार इस प्रकरण में प्रथम सूचना में कोई देरी नहीं है और उसका स्पष्टीकरण भी पूर्ण रूप से दिया गया है।

इसी प्रकार का सिद्धान्त 2002 क्रिमिनल लॉ जरनल 2951 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओमप्रकाश) विनिश्चय में भी दिया गया है। इस प्रकरण में प्रथम सूचना में देरी के ऊपर सिद्धान्त दिया गया है, साथ ही 8 साल की बालिका के साथ में बलात्कार किया गया था, गवाह का बयान पूर्ण रूप से विश्वसनीय माना गया था। स्वतंत्र गवाहों को पेश नहीं होने के आधार पर भी अभियुक्त को दण्डित किया जा सकता है, सिद्धान्त दिया गया है। उस प्रकरण में सात साल की सजा से अभियुक्त को दण्डित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बच्ची के साथ इस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं होती है, गम्भीरता से लिया। उससे कम सजा करने का कोई आधार नहीं पाया गया।

उपरोक्त सिद्धान्तों को मैं आदर पूर्वक स्वीकार करता हूं। इस प्रकरण में, जैसाकि ऊपर विस्तृत विवेचित किया गया है, अभियोक्त्री के बयान में कोई भी सारभूत कमजोरी नहीं आई है जिससे उसके बयान अविश्वसनीय माने जावें। जिरह में उसका मात्र एक कथन कि उसने रामा के पेशाब

करने की नली नहीं देखी या उसके पेशाब करने वाली जगह में नली डाली, अंगुली डाली या लकड़ी डाली उसे पता नहीं, के बयान देने मात्र के आधार पर इसके बयान अविश्वसनीय नहीं माने जा सकते। उसने अपने मुख्य बयानो में अभियुक्त ने जिस प्रकार से नंगा होकर ऊपर नीचे होता रहा और उसके पेशाब करने वाली जगह में पेशाब करने वाला डाला और फिर वह बेहोश हो गई, जो बयान दिए गए, इन बयानो को नहीं मानने के कोई कारण नहीं है और इसकी ताईद चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है।

उपरोक्त तमाम विवेचन से, मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के तर्को से सहमति नहीं रखता कि अभियोक्त्री इस प्रकरण में बालक गवाह है और उसके बयान सिखाए पढ़ाए गए हों या वह अभियुक्त को झूंठा फंसाने के लिए बयान दे रही हो। अभियोक्त्री के बयान की ताईद उसके माता-पिता के बयानो से भी होती है और वाके के तुरन्त बाद भी उसने अपने माता पिता को बलात्कार की घटना बताई भी है, उसके बाद यह प्रथम सूचना दर्ज कराई गई है। इसके अलावा पी.ड.7 भेमजी के बयानो से भी, जो स्वतंत्र गवाह है, अभियोक्त्री के बयानो की ताईद होती है। वह अभियोक्त्री के घर गया जब अभियोक्त्री खाट पर पड़ी हुई थी, उसके पेशाब करने की जगह से खून निकल रहा था। रात 12 बजे जब उसे होश आया तब बताया कि वह खजूर खाने गई थी जहां रामा ने कहा कि मैं खजूर गिरा देता हूं। फिर रामा उसे झाडियो में ले गया और उसकी इज्जत खराब की। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि रूपयो के झगडे की वजह से अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया, इसके बारे में कोई बरीयत की साक्ष्य पेश नहीं की गई और रूपयों का क्या झगड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं आई कि

उनके तर्को को स्वीकार किया जावे।

इस प्रकार मैं उपरोक्त तमाम विवेचन से, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध जो दोषसिद्धि धारा 376 भा.दं.सं. के तहत पारित की है उसमें मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप के आधार नहीं पाता।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट की दण्डादेश के ऊपर भी विस्तृत बहस की और तर्क किया कि अपीलाण्ट को जो 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है, अभियुक्त एक आदिवासी व्यक्ति है और गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र भी कम थी। अभियोक्त्री की उम्र 10 वर्ष उसके पिता द्वारा बताई गई है। रेडियोलोजिकल परीक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार 12 वर्ष से नीचे उसकी उम्र रही हो,इसकी भी कोई उपधारणा नहीं ली जा सकती। कोई उम्र का प्रमाण-पत्र पेश नहीं किए जाने से या 12 वर्ष की उम्र से कम उम्र हो, इसके बारे में कोई भी रेडियोलोजिस्ट रिपोर्ट नहीं आने से, मात्र चिकित्सक द्वारा जो उसकी जांच की गई और क्लिनिकल जांच के आधार पर उसके ऊपरी जबडे में 12 दांत व नीचे के जबडे में 14 दांत होने व ब्रेस्ट विकसित नहीं हुई, कांख के बाल विकसित नहीं थे और गुप्तांग के बाल नहीं उगे थे, मात्र इस आधार पर उसकी उम्र 8 से 10 साल नहीं मानी जा सकती। यह उम्र 12 वर्ष भी हो सकती है, इन परिस्थितियों को देखते हुए अपीलाण्ट को जो सजा दी गई है वह कम की जावे क्योंकि धारा 376 (2)(एफ) भा.दं.सं. के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार किया गया हो, आरोप प्रमाणित नहीं होता। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने 8 वर्ष की आयु होना ही मानी है, मगर माता-पिता द्वारा 10 वर्ष की उम्र बताई है और रेडियोलोजिकल रिपोर्ट नहीं है और न एक्स-रे ही कराया गया न स्कूल का

प्रमाण-पत्र दिया गया इसलिए इस प्रकरण में उम्र के बारे में शक रहता है कि उसकी उम्र 12 साल से भी अधिक हो सकती थी। इन आधारो पर भी सजा कम करने की इस्तदुआ की।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक का तर्क रहा कि चिकित्सक ने अभियोक्त्री की उम्र 8 साल पाई है, हालांकि माता-पिता ने 10 साल उम्र बताई है। इस प्रकार उनके बयानो को नहीं मानने का कोई कारण नहीं है, इस प्रकार जो सजा दी गई है उसमें भी हस्तक्षेप नहीं किया जावे। इस सम्बन्ध में उन्होंने 2002 क्रि.लॉ.ज. (सुप्रीम कोर्ट) 2951 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओमप्रकाश) माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया।

इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विचार किया गया एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का आदर पूर्वक अवलोकन किया गया। उस प्रकरण में बालिका की उम्र 8 वर्ष से कम पाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सात वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया था, जिसे कम करने के कोई आधार नहीं पाए गए। ऐसे प्रकरण में कोई भी नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं माना गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट के विरूद्ध, हालांकि स्पष्ट रूप से यह चार्ज नहीं लगा कि धारा 376 (2)(एफ) भा.दं.सं. के आरोप में 12 वर्ष से कम बालिका के साथ बलात्कार किया गया, स्पष्ट रूप से आरोप नहीं लगाया गया, मगर प्रकरण में आई तमाम परिस्थितियों को देखें तो पी.ड.1 विठला ने उसकी उम्र 10 साल होना बताई है, वह किस साल पैदा हुई वह नहीं बता पाया। जनगणना के आधार पर बताया कि उसकी आयु अभी 10 वर्ष की है और जनगणना किस साल हुई

यह भी वह नहीं बता पाया। अभियोक्त्री स्वयं ने अपनी उम्र पहले दस वर्ष बताई, फिर 8 वर्ष बताई है और यह बालिका है और यह भी सही उम्र नहीं बता सकी। चिकित्सक ने उसकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बाद उम्र 8 वर्ष होना पाई है। उसकी मां ने उसकी उम्र 8 साल होना बताई है। उम्र के सम्बन्ध में मात्र यही साक्ष्य रेकर्ड पर आई है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति उम्र 10 साल हो, उसका आधार नहीं बताया। चिकित्सक ने क्लिनिकल आधार पर ही उम्र 8 साल होना पाई है। अभियोक्त्री का एक्स-रे भी नहीं हुआ न रेडियोलोजिकल परीक्षण ही हुआ न उम्र के बारे में कोई प्रमाण-पत्र ही पेश हुआ है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए शक से परे पूर्ण रूप से यह नहीं माना जा सकता कि उसकी उम्र 12 साल से कम रही हो, क्योंकि 12 साल से कम उम्र होने से चार्ज में गम्भीरता आती है और धारा 376 (2) (एफ) भा.दं.सं. में न्यूनतम दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है जो उम्र कैद तक भी बढ़ाई जा सकती है। बालिका के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय ने 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में आई सभी परिस्थितियों को देखते हुए, अभियुक्त भी एक आदिवासी गरीब व्यक्ति है और उम्र भी उस समय उसकी 20 वर्ष ही होना बताई गई थी, 8 वर्ष की बच्ची मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, मगर चूंकि 8 वर्ष की ही उम्र मात्र हो, यह पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। उसकी उम्र 12 वर्ष भी हो सकती है, इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि उम्र के बारे में कोई भी विशिष्ठ साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं दी गई है, इन परिस्थितियों को देखते हुए

एवं अभियुक्त के सामाजिक व पारिवारिक पारिवेश को ध्यान में रखते हुए, वह आदिवासी है, जिनकी स्वयं की अपनी नैतिकाएं व परम्पराएं हैं और उनकी शिक्षा शैली है और वह पूर्ण रूप से शिक्षित होना भी नहीं पाया जाता है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, जीवनशैली, मान्यताएं, परम्पराएं, आदिवासी परिपेक्ष को एवं उसकी उम्र को मध्यनजर रखते हुए और जिन परिस्थितियों में अपराध कारित किया गया, जो 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई है, यह अत्यधिक कठोर प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का सही प्रयोग नहीं किया है। यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से यह भी स्थिति स्पष्ट है कि बलात्कार जैसे प्रकरण मानवता विरूद्ध अपराध हैं और ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों को नरमी का रूख नहीं अपनाया जाना चाहिए, मगर सजा देने के लिए विवेकाधिकार का इस्तेमाल प्रकरण की सभी परिस्थितियों को देखकर किया जाना न्यायोचित होता है। ऐसे प्रकरण में जहां 8 वर्ष की बच्ची मानते हुए 12 वर्ष की सजा दी गई है, मगर जहां बच्ची की उम्र 8 वर्ष ही हो, यह शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होता, जैसाकि ऊपर विवेचित किया गया है, अभियुक्त की उम्र 21 वर्ष से कम उस समय थी और जिस आदिवासी परिवेश का अभियुक्त है और अपराध जिन परिस्थितियों में कारित हुआ, अभियुक्त को उसके अपराध के लिए उचित दण्ड दिया जाना न्यायोचित होगा, मगर 12 वर्ष की सजा अधिक कठोर प्रतीत होती है, यदि 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा अभियुक्त को दी जाती है तो यह न्याय-हित में उचित होगा। जुर्माने की सजा जो पांच हजार रूपए दी गई है, जो उसके द्वारा जमा कराया जाना सम्भव भी नहीं है,

जिसे घटाकर दो हजार रूपए किया जाता है और अदम अदायगी जुर्माना दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है उसे घटाकर 6 माह के कठोर कारावास की सजा की जाती है। उपरोक्त सजाएं न्याय तक पहुंचने के लिए न्यायोचित प्रतीत होती है।

उपरोक्त प्रकार से यह अपील अपीलाण्ट दोषसिद्धि की हद तक अस्वीकार की जाती है, मगर दण्डादेश के सम्बन्ध में आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 376 भा.दं.सं. के आरोप में पारित दोषसिद्धि में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुए जो दण्डादेश पारित किया गया है उसे कम करते हुए 12 वर्ष कठोर कारावास के स्थान पर 8 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है व जुर्माने की सजा पांच हजार रूपए से घटाकर दो हजार रूपए की जाती है और अदम अदायगी जुर्माना, जो दो वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दी गई उसे घटाकर अदम अदायगी जुर्माना 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

(न् यायाधिपति कृष् णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा]